

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2669]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 2669]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सं. 26/2015-2020

विषय: प्याज की निर्यात नीति—न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) में संशोधन।

का.आ. 3359(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आर ई-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 24.08.2015 की अधिसूचना सं. 18/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 24.08.2015 की अधिसूचना सं. 18/2015-20 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

"निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 400 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को संशोधित कर 400 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/922/एम 08/पीसी-3/निर्यात सैल]

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2015

No. 26/2015-2020**Subject:- Export Policy of Onions- revision in Minimum Export Price (MEP).**

S.O. 3359(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 18/2015-20 dated 24.08.2015 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009-14 dated 12.03.2014 relating to export of onion.

2. Para 2 of Notification No. 18/2015-20 dated 24.08.2015 is amended to read as:

“Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted subject to a Minimum Export Price (MEP) of US\$ 400 F.O.B. per Metric Ton”.

3. Effect of this notification:

The Minimum Export Price (MEP) for export of all varieties of onions as described above is revised from US\$ 700 F.O.B. per MT to US\$ 400 F.O.B. per MT.

[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade